CHANAKYA
IAS ACADEMY
Nurturing Leaders of Tomorrow
SINCE-1993

परीक्षा संचय

चाणक्य वीकली बूस्टर

करेंट अफेयर्स एंड न्यूजपेपर एनालिसिस

हैंडआउट
07
24 जुलाई से 31 जुलाई 2022

स्रोत : द हिन्दू, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक्स टाइम्स, पीआईबी, पीआरएस, आरएसटीवी, एलएसटीवी, एआईआर, योजना, कुरुक्षेत्र, डाउन टू अर्थ आदि।

कंगारू कोर्ट और मीडिया

संदर्भ

- हाल ही में, भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमण ने कहा कि मीडिया भारत में "कंगारू अदालतें" चला रही है।

कंगारू कोर्ट

- वाक्यांश "कंगारू कोर्ट" का प्रयोग न्यायिक प्रणाली के खिलाफ किया जाता है जहां अभियुक्त के खिलाफ निर्णय आमतौर पर पूर्व निर्धारित होता है।
- इसके अलावा, प्रणाली कानून या न्याय के मानकों पर काम नहीं करती है।
- कंगारू कोर्ट में, प्रक्रिया केवल औपचारिकता के रूप में आयोजित की जाती है।
- कंगारू अदालतें "दोषी साबित होने तक निर्दोष" वाक्यांश के खिलाफ काम करने के लिए जानी जाती हैं।
- अदालत अपने फैसले के खिलाफ अपील करने की अनुमति नहीं देती है।
- सोवियत संघ में स्टालिन युग के दौरान कंगारू कोर्ट आम थे, जो सोवियत ग्रेट पर्ज के "मॉस्को ट्रेल्स" के रूप में प्रसिद्ध थे।

- भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) एनवी रमना ने कहा कि मीडिया द्वारा चलाई जा रही कंगारू अदालतें देश के लोकतंत्र के लिए हानिकारक हैं।
- अदालतों में लंबित मुद्दों पर मीडिया में गलत सूचना, पक्षपातपूर्ण और एजेंडा संचालित बहस, न्याय वितरण को प्रभावित कर रही है।
- उन्होंने कहा कि विशेष रूप से सोशल मीडिया पर न्यायाधीशों के खिलाफ अभियान और मीडिया परीक्षण न्यायिक कामकाज को प्रभावित करते हैं।
- जब न्यायाधीशों के बारे में "आसान जीवन"व्यतीत करने के बारे में झूठे आख्यान बनाए जाते हैं तो इसे निगलना आसान नहीं होता है।
- बारंबार उल्लंघनों और परिणामी सामाजिक अशांति के कारण, कठोर मीडिया विनियमों और जवाबदेही की मांग बढ़ रही है।
- शीर्ष न्यायाधीश ने मीडिया को "स्व-नियमन " सलाह दी ।

न्याय वितरण पर मीडिया परीक्षणों का प्रभाव

जजों पर दबाव:

- मीडिया की सक्रियता निर्णायक प्राधिकारियों पर पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए एक अप्रत्यक्ष दबाव डालती है जो मुकदमे की कार्यवाही में हस्तक्षेप कर सकते हैं और आरोपी को पूर्वाग्रह और अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका दे सकते हैं।

गोपनीयता का अधिकार:

- वे गोपनीयता पर आक्रमण करते हैं जो अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत गोपनीयता के अधिकार के उल्लंघन का कारण बनता है।

समाचारों का व्यावसायीकरण:

- समचारो का व्यावसायीकरण और अधिक विचारों के लिए प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता ने आज मीडिया को दर्शकों के लिए एक खेल रूप में बदल दिया है। जैसे की रेटिंग, दर्शकों की संख्या, और विज्ञापन आदि ।

सनसनीखेज:

- विरोध करने वाले किसानों की मौत को कवर करने के बजाय कथित नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर सुपरस्टार के बेटे की प्राथमिकता और अत्यधिक कवरेज का हालिया उदाहरण कई उदाहरणों में से एक है जहां मीडिया ने दिखाया है कि यह किसी भी अन्य की तुलना में सनसनीखेज समाचारों को कवर करना चाहता है। इसका मतलब है, जो कुछ भी जनता का ध्यान आकर्षित करता है उन घटनाओ को ये सनसनी खबर बना कर पेश करते है

मीडिया परीक्षण : इसका अर्थ है "न्यायालय के फैसले की परवाह किए बिना अपराध की व्यापक धारणा बनाकर किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर टेलीविजन और समाचार पत्र कवरेज का जो प्रभाव पड़ता है उसे मीडिया ट्रायल या मीडिया परिक्षण कहते है ।

CHANAKYA IAS ACADEMY Nurturing Leaders of Tomorrow SINCE-1993

मीडिया विनियमन

- भारत में मीडिया ज्यादातर स्व-विनियमित है। मीडिया के नियमन के लिए मौजूदा निकाय जैसे भारतीय प्रेस परिषद जो एक वैधानिक निकाय है और समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण, एक स्व-नियामक संगठन, जो मीडिया मानकों को जारी करते हैं वही मानक मीडिया के लिए दिशानिर्देशों की प्रकृति में होती हैं।

प्रिंट मीडिया

- भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई):
  - पीसीआई की स्थापना पीसीआई अधिनियम 1978 के तहत प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखने और भारत में समाचार पत्रों और समाचार एजेंसियों के मानकों को बनाए रखने और सुधारने के उद्देश्य से की गई थी।
- कार्य:
  - समाचार पत्रों को उनकी स्वतंत्रता बनाए रखने में सहायता करना;
  - पत्रकारों और समाचार एजेंसियों के लिए आचार संहिता बनाना;
  - सार्वजनिक मानको को उच्च को बनाए रखने और नागरिकों के बीच जिम्मेदारी को बढ़ावा देने में सहायता करना ; तथा
  - समाचारों के प्रवाह को प्रतिबंधित करने वाले संभावित घटनाक्रमों की समीक्षा करना ।
- इलेक्ट्रॉनिक मीडिया:
  - टेलीविजन सामग्री को विनियमित करने के लिए एनबीए ने एक आचार संहिता तैयार की है।
  - एनबीए के समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण (एनबीएसए) को ब्रॉडकास्टर को चेतावनी देने, निंदा करने, अस्वीकृति व्यक्त करने और संहिता के उल्लंघन के लिए 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाने का अधिकार है।
    - ऐसा ही एक और संगठन है **ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन।**
    - भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ने भी विज्ञापनों की सामग्री पर दिशानिर्देश तैयार किए हैं।
    - ये समूह समझौतों के माध्यम से कार्य करते हैं और इनके पास कोई वैधानिक शक्ति नहीं है।
- सोशल मीडिया:
  - आईटी नियम 2011 के तहत इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री के लिए कुछ मानक निर्धारित किए गए हैं।
  - इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 में संशोधन का एक नया मसौदा प्रकाशित किया है।
  - सरकार सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021 भी लेकर आई है।
  - हालांकि, यहाँ पीसीआई या सीबीएफसी जैसी नियामक संस्था मौजूद नहीं है। यहाँ शिकायतों को इंटरनेट सेवा प्रदाता या होस्ट को संबोधित किया जाता है।

प्रेस की स्वतंत्रता :

- प्रेस की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 (1) (a) का एक आवश्यक तत्व है जिसमें सूचना प्राप्त करने और प्रदान करने का अधिकार शामिल है जिसके बिना लोकतंत्र एक खाली नारा बन जाता है।
- लेकिन यह अधिकार पूर्ण नहीं है और मानहानि और अदालत की अवमानना के उचित प्रतिबंधों के अधीन है।

CHANAKYA IAS ACADEMY Nurturing Leaders of Tomorrow SINCE-1993

सीपीईसी और भारत

संदर्भ

- हाल ही में, भारत ने CPEC परियोजनाओं में तीसरे देशों को शामिल करने के लिए पाकिस्तान और चीन के कदम की निंदा की है । भारत ने कहा कि सीपीईसी के दायरे को व्यापक बनाने का प्रयास "स्वाभाविक रूप से अवैध" हैं।
- भारत तथाकथित सीपीईसी में परियोजनाओं का दृढ़ता से और लगातार विरोध करता रहा है, जो कि भारतीय क्षेत्र में हैं और पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है।
- जमीनी स्तर पर भ्रष्टाचार, बलूचिस्तान जैसे स्थानों में स्थानीय लोगों द्वारा प्रतिरोध, और इस्लामी कट्टरपंथियों और आतंकवादियों द्वारा चीनी इंजीनियरों और श्रमिकों पर हमलों के कारण परियोजना के ठप होने की रिपोर्ट आने के बाद पाकिस्तान और चीन द्वारा देशों को CPEC में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है।

सीपीईसी के बारे में

- सीपीईसी में कई बुनियादी परियोजनाएं शामिल हैं जो पूरे पाकिस्तान में निर्माणाधीन हैं और इसका उद्देश्य गिलगित बाल्टिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हिमालय की सीमा को काटकर चीन को खाड़ी देशों से जोड़ना है।
- सीपीईसी चीन की व्यापक बेल्ट एंड रोड पहल का हिस्सा है,
- यह चीन के उत्तर पश्चिमी झिंजियांग उइगुर स्वायत्त क्षेत्र और पाकिस्तान के पश्चिमी प्रांत बलूचिस्तान में ग्वादर बंदरगाह को जोड़ने वाली बुनियादी परियोजनाओं का 3,000 किलोमीटर लंबा मार्ग है।
- यह पाकिस्तान और चीन के बीच एक द्विपक्षीय परियोजना है, जिसका उद्देश्य ऊर्जा, औद्योगिक और अन्य बुनियादी विकास परियोजनाओं के साथ राजमार्गों, रेलवे और पाइपलाइनों के नेटवर्क के साथ पूरे पाकिस्तान में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है।
- यह चीन को ग्वादर बंदरगाह से मध्य पूर्व और अफ्रीका तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करेगा, जिससे चीन हिंद महासागर तक पहुंच सकेगा और बदले में चीन पाकिस्तान के ऊर्जा संकट से उबरने और अपनी लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए पाकिस्तान में विकास परियोजनाओं का समर्थन करेगा।
- मूल रूप से CPEC $47 बिलियन की परियोजना था ,लेकिन 2020 तक CPEC परियोजनाओं का मूल्य $62 बिलियन हो गया है ।

OBOR: यह 2013 में शुरू की गई एक बहु-अरब डॉलर की पहल है।

- इसका उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया,मध्य एशिया,खाड़ी क्षेत्र,अफ्रीका और यूरोप को भूमि और समुद्री मार्गों के नेटवर्क से जोड़ना है।
- यह विश्व में बड़ी बुनियादी परियोजनाओं को शुरू करने के लिए शुरू किया गया है जो बदले में चीन के वैश्विक प्रभाव को भी बढ़ाएगा।

संरचना:

- इनमें निम्नलिखित छह आर्थिक गलियारे शामिल हैं:
- न्यू यूरेशियन लैंड ब्रिज, जो पश्चिमी चीन को पश्चिमी रूस से जोड़ता है
- चीन-मंगोलिया-रूस गलियारा, जो मंगोलिया के रास्ते उत्तरी चीन को पूर्वी रूस से जोड़ता है
- चीन-मध्य एशिया-पश्चिम एशिया गलियारा, जो मध्य और पश्चिम एशिया के माध्यम से पश्चिमी चीन को तुर्की से जोड़ता है
- चीन-इंडोचीन प्रायद्वीप गलियारा,जो भारत-चीन के माध्यम से दक्षिणी चीन को सिंगापुर से जोड़ता है
- चीन-पाकिस्तान गलियारा,जो पाकिस्तान के माध्यम से दक्षिण पश्चिमी चीन को अरब सागर मार्गों से जोड़ता है
- बांग्लादेश-चीन-भारत-म्यांमार कॉरिडोर,जो बांग्लादेश और म्यांमार के माध्यम से दक्षिणी चीन को भारत से जोड़ता है

भारत की चिंता :

- भारतीय संप्रभुता का उल्लंघन:
  - यह परियोजना भारत की संप्रभुता का उल्लंघन करती है क्योंकि यह पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) से होकर गुजरती है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच एक विवादित क्षेत्र है।
  - सुस्थापित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के अनुसार, किसी भी विवादित क्षेत्र में दूसरे देश को विश्वास में लिए बिना किसी भी निर्माण की अनुमति नहीं है।

- प्राकृतिक संसाधनों का दोहन:
  - CPEC के तहत, चीन सिंधु पर दो मेगा-बांध बनाने की योजना बना रहा है, जिसका नाम बुंजी बांध और भाषा बांध है।
  - इससे सिंधु जल बेसिन पर भारी दबाव पड़ेगा।
- भारत के लिए सुरक्षा संबंधी चिंताएं:
  - IOR में चीन की गतिविधियों में वृद्धि:
    - ग्वादर के CPEC का हिस्सा होने के कारण, भारत को हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में PLA नौसेना की गतिविधियों के बढ़ने का डर है।
  - भारतीय व्यापार और संपर्क के लिए खतरा:
  - अधिकांश भारतीय मूर्त आयात होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर गुजरते हैं।
  - भारत की ऊर्जा सुरक्षा को खतरे में डालते हुए, संघर्ष की स्थिति में चीन आसानी से मध्य-पूर्व तक पहुंच में बाधाएं पैदा कर सकता है।
- पाकिस्तान से बढ़ता खतरा:
  - काराकोरम राजमार्ग के जीर्णोद्धार के साथ, पाकिस्तान को पीओके के लिए सैनिकों के साथ-साथ भारी सैन्य उपकरणों को जुटाने में फायदा होगा।
  - साथ ही, सीपीईसी के माध्यम से पाकिस्तान को वित्तीय रिटर्न में वृद्धि से कश्मीर में सैन्य बुनियादी ढांचे के साथ-साथ राज्य प्रायोजित आतंकवाद को वित्तपोषित करने की उसकी क्षमता का विस्तार हो सकता है, इस प्रकार वह इस क्षेत्र को अस्थिर कर सकता है।

स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स

स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स भारत के आसपास के हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में एक नेटवर्क स्थापित करने के चीनी इरादे को संदर्भित करता है। प्रत्येक स्ट्रिंग एक स्ट्रिंग के साथ स्थानों की एक श्रृंखला में स्थायी चीनी सैन्य स्थापना के किसी न किसी रूप का प्रतिनिधित्व करता है। ग्वादर, हंबनटोटा, म्यांमार में बंगाल की खाड़ी पर सित्तवे आदि बंदरगाहों के हाल के विकास को स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के हिस्से के रूप में देखा जाता है।

आगे की राहे :

संचार बनाए रखें: विशेषज्ञों ने इस बात पर जोर दिया है कि भारत अपने पड़ोसियों के साथ संचार और सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखे।

गठबंधन : विकासशील देशों, विशेष रूप से दक्षिण पूर्व एशिया के देशों ने इस क्षेत्र में चीन के आधिपत्य का मुकाबला करने के लिए भारत पर अपनी उम्मीदें टिका दी हैं। यहां, भारत को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए क्वाड जैसे गठबंधनों का निर्माण करने की आवश्यकता है।

एशिया-अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर: एशिया-अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर एक भारत-जापान आर्थिक सहयोग समझौता है, यह भारत को रणनीतिक लाभ प्रदान कर सकता है और चीन का मुकाबला कर सकता है।

पीओके

पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जम्मू और कश्मीर (भारत) का वह हिस्सा है जिस पर 1947 में पाकिस्तान ने आक्रमण किया था। POK को प्रशासनिक रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है, जिन्हें आधिकारिक भाषाओं में जम्मू और कश्मीर और गिलगित-बाल्टिस्तान कहा जाता है। पाकिस्तान में 'आजाद जम्मू और कश्मीर' को आजाद कश्मीर भी कहा जाता है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का प्रमुख राष्ट्रपति होता है जबकि प्रधान मंत्री मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है जिसे मंत्रिपरिषद द्वारा समर्थित किया जाता है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) अपनी स्वशासी विधानसभा का दावा करता है, लेकिन तथ्य यह है कि यह पाकिस्तान के नियंत्रण में काम करता है।

गिलगित बाल्टिस्तान

यह उत्तरी पाकिस्तान में स्थित है। यह उत्तर में चीन, पश्चिम में अफगानिस्तान, उत्तर पश्चिम में ताजिकिस्तान और दक्षिण पूर्व में कश्मीर से सीमा साझा करता है। यह पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के साथ एक भौगोलिक सीमा साझा करता है, और भारत इसे अविभाजित जम्मू और कश्मीर का हिस्सा मानता है, जबकि पाकिस्तान इसे पीओके से अलग मानता है। इसकी एक क्षेत्रीय सभा और एक निर्वाचित मुख्यमंत्री है। 46 बिलियन अमरीकी डालर का चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) भी इस क्षेत्र से होकर गुजरता है।

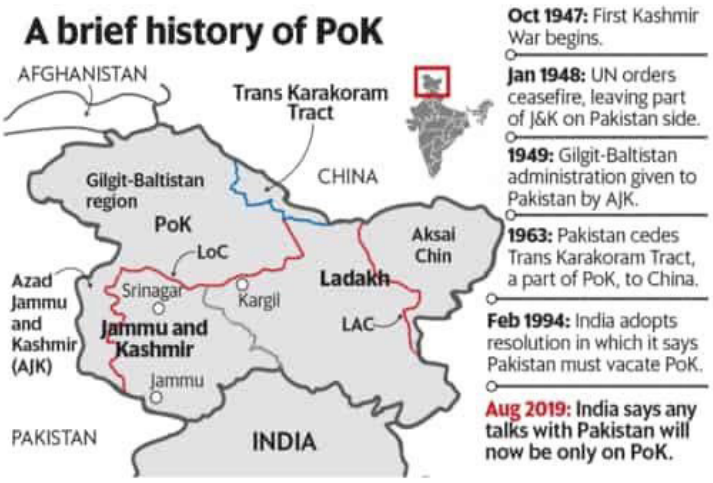

ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक 2022 और भारत के जलवायु लक्ष्य

हाल ही में केंद्र सरकार ने चल रहे मानसून सत्र में ऊर्जा संरक्षण विधेयक पेश करने की योजना बनाई है, ताकि भारत में अक्षय ऊर्जा की मांग को बढ़ाया जा सके, जिससे देश के कार्बन उत्सर्जन में कमी आए।

वर्तमान ऊर्जा संरक्षण अधिनियम:

- ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2010 में संशोधित) केंद्र को 100 किलो वाट से अधिक के कनेक्टेड लोड या 15 किलोवोल्ट -एम्पीयर (केवीए) से अधिक की संविदात्मक मांग वाले उपकरणों, औद्योगिक उपकरणों और भवनों के लिए ऊर्जा दक्षता के मानदंडों और मानकों को निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है।
- अधिनियम के अनुसार, केंद्र उन उद्योगों को ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र जारी कर सकता है जो अपनी अधिकतम आवंटित ऊर्जा से कम खपत करते हैं। हालांकि, यह प्रमाणपत्र उन ग्राहकों को बेचा जा सकता है जो अपनी अधिकतम अनुमत ऊर्जा सीमा से अधिक खपत करते हैं – यह ऊर्जा व्यापार के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं।
- अधिनियम केंद्र को किसी विशेष उपकरण के निर्माण, बिक्री, खरीद या आयात को प्रतिबंधित करने की अनुमति देता है जब तक कि यह छह महीने/एक वर्ष पहले जारी किए गए निर्दिष्ट मानदंडों के अनुरूप न हो।
- इस अधिनियम के तहत किसी भी उल्लंघन के मामले में, प्रत्येक अपराध पर दस लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और प्रत्येक दिन अपराध जारी रहने पर 10,000 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा।
- अधिक ऊर्जा का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को उनकी अधिक खपत के अनुसार दंडित किया जाएगा। केंद्र या राज्य सरकार द्वारा पारित ऐसे किसी भी आदेश के खिलाफ किसी भी अपील की सुनवाई विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत पहले से स्थापित अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा की जाएगी।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

- भारत सरकार ने ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) की स्थापना की 1 मार्च 2002 को ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के प्रावधानों के तहत किया
- ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था की ऊर्जा तीव्रता को कम करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के समग्र ढांचे के भीतर स्व-विनियमन और बाजार सिद्धांतों पर जोर देते हुए नीतियों और रणनीतियों को विकसित करने में सहायता करना है।
- बीईई नामित उपभोक्ताओं, नामित एजेंसियों और अन्य संगठनों के साथ समन्वय करता है और ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के तहत इसे सौंपे गए कार्यों को करने में मौजूदा संसाधनों और बुनियादी ढांचे को पहचानता है और उनका उपयोग करता है।

CHANAKYA IAS ACADEMY Nurturing Leaders of Tomorrow SINCE-1993

मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

हाल ही में जस्टिस एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने अपने फैसले से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा।

ईडी के कार्यों को सीआरपीसी के दायरे में लाने पर शीर्ष अदालत का दृष्टिकोण

- पीएमएलए अधिनियम के तहत प्रवर्तन निदेशालय(ED) को "पुलिस" नहीं माना जाता है और इसलिए यह तलाशी, जब्ती, गिरफ्तारी, संपत्तियों की कुर्की के लिए सीआरपीसी के प्रावधानों का पालन नहीं करता है।
- याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि ईडी प्रभावी रूप से पुलिस शक्तियों का प्रयोग करता है, जो गिरफ्तारी और जब्ती आदि से संबंधित प्रावधानों की संवैधानिकता को चुनौती देता है । यह महत्वपूर्ण है क्योंकि चूंकि ईडी एक पुलिस एजेंसी नहीं है, इसलिए एक आरोपी द्वारा ईडी अधिकारियों को दिए गए बयान कोर्ट में स्वीकार्य हैं। जबकि जांच के दौरान एक पुलिस अधिकारी के सामने दिया गया बयान अस्वीकार्य होता है।
- सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि ईडी को जांच करते समय सीआरपीसी का पालन करने के लिए बाध्य होना चाहिए।

मनी लॉन्ड्रिंग: यह आपराधिक गतिविधि, जैसे कि मादक पदार्थों की तस्करी या आतंकवादी फंडिंग से उत्पन्न बड़ी मात्रा में धन बनाने की प्रक्रिया है, इसमे ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक वैध स्रोत से आया है।

- उत्पन्न धन को 'डर्टी मनी ' कहा जाता है और धन शोधन 'डर्टी मनी को 'वैध' धन के रूप में प्रकट करने के लिए रूपांतरण की प्रक्रिया है।

जमानत पर और 2018 में संशोधन

- पीएमएलए अधिनियम जमानत के लिए एक दोहरी शर्त निर्धारित करता है जहां आरोपी को यह साबित करना होता है कि वह प्रथम दृष्टया अपराध का दोषी नहीं है और अदालत को यह भी संतुष्ट करना होता है कि वह आगे कोई अपराध नहीं करेगा ।
- 2017 में निकेश ताराचंद शाह बनाम भारत संघ के फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया। हालांकि, 2018 में एक संशोधन के बाद, संसद ने वित्त विधेयक के माध्यम से इन प्रावधानों को फिर से सम्मिलित किया।
- याचिकाकर्ताओं ने संशोधनों को दो आधारों पर चुनौती दी थी - इन संशोधनों को धन विधेयक के माध्यम से पारित करना; और एक वास्तविक चुनौती है कि इन प्रावधानों को अनिवार्य रूप से असंवैधानिक घोषित किया गया था।
- सरकार ने तर्क दिया था कि संशोधन "जुड़वां परीक्षण" को बरकरार रखने के बावजूद 2017 के फैसले के अनुरूप थे, जिसे रद्द कर दिया गया था।
- सुप्रीम कोर्ट ने संशोधनों को बरकरार रखा है, यह फैसला करते हुए कि संसद 2017 के फैसले का पालन करने के लिए आवश्यक किसी भी बदलाव को लाने के लिए सक्षम है।

प्रवर्तन निदेशालय

- इसकी स्थापना वर्ष 1956 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
- यह विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) और धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत कुछ प्रावधानों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है।
- पीएमएल के तहत मामलों की जांच और अभियोजन से संबंधित कार्य प्रवर्तन निदेशालय को सौंपा गया है।
- यह परिचालन उद्देश्यों के लिए राजस्व विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में है; फेमा के नीतिगत पहलू, इसके कानून और इसके संशोधन आर्थिक मामलों के विभाग के दायरे में हैं। हालांकि, पीएमएल अधिनियम से संबंधित नीतिगत मुद्दों की जिम्मेदारी राजस्व विभाग की है।
- फेमा के प्रभावी होने से पहले (1 जून 2000), निदेशालय ने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के तहत नियमों को लागू किया।

धन शोधन अधिनियम:

- PMLA 2002 में अधिनियमित किया गया था और यह 2005 में लागू हुआ था। इस कानून का मुख्य उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ना है, यानी काले धन को सफेद करने की प्रक्रिया।
- यह अधिनियम सरकारी प्राधिकारियों को अवैध स्रोतों से और धन शोधन के माध्यम से अर्जित संपत्ति और/या संपत्ति को जब्त करने में सक्षम बनाता है।
- पीएलएमए में तीन बार, यानी 2005, 2009 और 2012 में संशोधन किया जा चुका है।
- पीएमएलए के तहत, सबूत का भार आरोपी पर होता है, जिसे यह साबित करना होता है कि संदिग्ध संपत्ति/संपत्ति अपराध की आय के माध्यम से प्राप्त नहीं की गई है।

पीएलएमए के तहत अपराध

- भाग ए में निम्नलिखित अधिनियमों के तहत अपराध शामिल हैं: भारतीय दंड संहिता, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, नारकोटिक्स ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम, पुरावशेष और कला खजाना अधिनियम, ट्रेडमार्क अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, कॉपीराइट अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम।
- भाग बी में ऐसे अपराध शामिल हैं जिनका उल्लेख भाग ए में किया गया है, लेकिन वे 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक मूल्य के हैं।
- भाग सी में सीमापार अपराध शामिल हैं।

सांसदों का निलंबन

हाल ही में संसद के उन्नीस सदस्यों (सांसदों) को सदन की कार्यवाही को बाधित करने और मूल्य वृद्धि और दैनिक आवश्यक वस्तुओं पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को वापस लेने पर चर्चा की मांग के लिए शेष सप्ताह के लिए राज्यसभा सत्र में भाग लेने से निलंबित कर दिया गया ।

नियम जिसके तहत पीठासीन अधिकारी सांसदों को निलंबित कर सकता है

लोकसभा में

- **नियम 373:** अध्यक्ष को यदि ऐसा लगता है कि किसी सदस्य का आचरण अव्यवस्थित है, तो ऐसे सदस्य को तत्काल सदन से हटने का निर्देश दे सकता है, और कोई भी सदस्य जिसे यह आदेश दिया गया है, वह तुरंत सदन से निकल जाएगा और शेष दिन की बैठक के दौरान अनुपस्थित रहेगा।
- **नियम 374:**
  - अध्यक्ष, यदि आवश्यक समझे, किसी ऐसे सदस्य का नाम बता सकता है जो सभापीठ के अधिकार की अवहेलना करता है या सदन के नियमों का लगातार और जानबूझकर उसके कार्य में बाधा डालता है।
  - यदि अध्यक्ष द्वारा किसी सदस्य का नाम इस प्रकार रखा जाता है, तो अध्यक्ष, प्रस्ताव किए जाने पर तत्काल यह प्रश्न रखेगा कि सदस्य (ऐसे सदस्य का नाम) को सदन की सेवा से शेष सत्र से अनधिक अवधि के लिए निलंबित कर दिया जाए। : बशर्ते कि सदन किसी भी समय, प्रस्ताव किए जाने पर यह संकल्प ले सकता है कि इस तरह के निलंबन को समाप्त कर दिया जाए।
  - इस नियम के अधीन निलम्बित सदस्य सदन की सीमा से तुरन्त हट जाएगा।

राज्यसभा में:

- **नियम 255:** लोकसभा में अध्यक्ष की तरह, राज्यसभा के सभापति को अपनी नियम पुस्तिका के इस नियम के तहत "किसी भी सदस्य को, जिसका आचरण उसकी राय में अव्यवस्थित है, सदन से तुरंत हटने के लिए निर्देशित करने" का अधिकार है।
- नियम 256 के तहत, अध्यक्ष "सदस्य का नाम दे सकता है जो अध्यक्ष के अधिकार की अवहेलना करता है या लगातार और जानबूझकर बाधा डालकर परिषद के नियमों का दुरुपयोग करता है"। ऐसी स्थिति में, सदन सदस्य को सदन की सेवा से निलंबित करने के लिए एक प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता है जो शेष सत्र से अधिक नहीं होगा।
- सदन एक अन्य प्रस्ताव द्वारा निलंबन को समाप्त कर सकता है।

निलंबन की शर्तें

- निलंबन की अधिकतम अवधि शेष सत्र के लिए है।
- निलंबित सदस्य कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकते या समितियों की बैठकों में भाग नहीं ले सकते।
- वह चर्चा या प्रस्तुत करने के लिए नोटिस देने के पात्र नहीं होंगे।
- वह अपने प्रश्नों का उत्तर पाने का अधिकार खो देता है।

10वीं अनुसूची: दलबदल विरोधी कानून (52वां सीएए)

दसवीं अनुसूची में दलबदल के आधार पर सांसदों और विधायकों की अयोग्यता के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान शामिल हैं:

अयोग्यता के आधार:

- यदि कोई निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है।
- यदि वह अपने राजनीतिक दल द्वारा जारी किसी भी निर्देश के विपरीत सदन में मतदान करता है या मतदान से दूर रहता है।
- यदि स्वतंत्र रूप से निर्वाचित कोई सदस्य किसी दल में शामिल हो जाता है।
- यदि कोई मनोनीत सदस्य 6 माह की समाप्ति के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है।
- दलबदल के आधार पर निरर्हता के प्रश्नों पर निर्णय अध्यक्ष या सदन के सभापति को भेजा जाता है और उसका निर्णय अंतिम होता है।
- इस अनुसूची के तहत अयोग्यता के संबंध में सभी कार्यवाही को संसद या राज्य के विधानमंडल में कार्यवाही माना जाता है

अपवाद: ऐसी स्थिति में जहां एक राजनीतिक दल के दो-तिहाई विधायक किसी अन्य दल में विलय करने का निर्णय लेते हैं, न तो जो सदस्य शामिल होने का निर्णय लेते हैं और न ही मूल दल के साथ रहने वाले सदस्यों को अयोग्यता का सामना करना पड़ेगा।

- अध्यक्ष या अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित कोई भी व्यक्ति अपनी पार्टी से इस्तीफा दे सकता है, और यदि वह उस पद को छोड़ देता है तो पार्टी में फिर से शामिल हो सकता है।
- पहले, कानून पार्टियों को विभाजित करने की अनुमति देता था, लेकिन वर्तमान में, इसे गैरकानूनी घोषित कर दिया गया है।

निर्णय लेने वाला प्राधिकरण

- दलबदल से उत्पन्न होने वाली अयोग्यता के संबंध में किसी भी प्रश्न का निर्णय सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा लिया जाता है ।

CHANAKYA IAS ACADEMY Nurturing Leaders of Tomorrow SINCE-1993

अभ्यास प्रश्न

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. कंगारू अदालत अपने फैसले के खिलाफ अपील करने की अनुमति देती है।
2. सोवियत संघ में स्टालिन युग के दौरान कंगारू अदालतें आम थीं।

निम्न में से कौन सा सही है ?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

2. सीपीईसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. यह चीन के उत्तर पश्चिमी झिंजियांग उइगुर स्वायत्त क्षेत्र और पाकिस्तान के पश्चिमी प्रांत बलूचिस्तान में ग्वादर बंदरगाह को जोड़ने वाली बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का 3,000 किलोमीटर लंबा मार्ग है।
2. यह पाकिस्तान, चीन और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक त्रिपक्षीय परियोजना है।

निम्न में से कौन सा सही है ?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

3. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 2005 के स्तर से 2030 तक 33-35 प्रतिशत कम करने के लिए प्रतिबद्ध किया है।
2. भारत ने 2030 तक गैर-जीवाश्म-ईंधन ऊर्जा संसाधनों से अपने बिजली उत्पादन का 40 प्रतिशत से अधिक हासिल करने का भी वादा किया है।

निम्न में से कौन सा सही है ?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

4. ईडी के संबंध में निम्नलिखित संशोधन पर विचार करें।

1. इसे विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम और धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने का कार्य सौंपा गया है।
2. यह एक वैधानिक निकाय है।
3. सीबीआई की तरह प्रवर्तन निदेशालय भी खुद ही केस दर्ज कर सकता है.

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है?

(a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 3 (d) केवल 1 और 3

5. दलबदल विरोधी कानून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. इसे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किया गया था।
2. दलबदल से उत्पन्न होने वाली अयोग्यता के संबंध में किसी भी प्रश्न का निर्णय सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा लिया जाता है ।

निम्न में से कौन सा सही है ?

(a) केवल 1 (b) केवल2
(c) 1 और 2 दोनों (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

CHANAKYA IAS ACADEMY Nurturing Leaders of Tomorrow SINCE-1993

उत्तर

1	2	3	4	5
B	A	C	A	C

NOTE: दिए गये प्रश्नों के उत्तर की व्याख्या के लिए ऊपर दिए गये आलेखों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।